नामांकन नीति में बदलाव

परिवारों के लिए जानकारी

सरकारी शिक्षा (पब्लिक एजुकेशन) को क्यों चुनें?

NSW की सरकारी शिक्षा प्रणाली सभी विद्यार्थियों को विश्व-स्तरीय शिक्षा प्रदान करती है, आज के दौर के बच्चों को कामयाब होने और आने वाले कल के लिए बेहतर समुदायों का निर्माण करने के लिए तैयार करती है। समग्र और उच्च-गुणवत्ता की शैक्षिक पेशकशों और विज्ञान, टैक्नोलोजी, इंजीनियरिंग, गणित, कला, खेल और उससे भी आगे बेमिसाल सह-पाठ्यचर्या (को-करिकुलर) अवसरों के साथ, हमारे विविध तथा समावेशी सरकारी स्कूल हर विद्यार्थी को उसके संपूर्ण सामर्थ्य तक पहुँचने में सहायता देते हैं।

नामांकन नीति क्या है?

नामांकन नीति शिक्षा अधिनियम (Education Act 1990) के अधीन स्कूलों को अपने दायित्व पूरे करने में सहायता करती है, और यह सुनिश्चित करती है कि सभी विद्यार्थियों को अपने स्थानीय सरकारी स्कूल तक पहुँच प्राप्त हो। यह नीति कर्मचारियों और समुदाय को इस बारे में स्पष्ट जानकारी भी प्रदान करती है कि NSW के सरकारी स्कूलों में भर्तियों का प्रबंध कैसे किया जाता है।

नीति में बदलाव क्यों हो रहा है?

NSW के शिक्षा विभाग ने वर्तमान नामांकन नीति के संबंध में शैक्षिक भागीदारों, सामुदायिक समूहों और स्कूल की नेतृत्व टीमों के साथ सलाह-मशविरा किया। हमें परिवारों द्वारा NSW के सरकारी स्कूलों में नामांकन करवाने की कोशिश करते समय पेश आने वाली बाधाओं पर ध्यान दिलाने की महत्ता के संबंध में महत्वपूर्ण फीडबैक (प्रतिक्रिया) प्राप्त हुई। अपडेट की गई नामांकन नीति इन बाधाओं पर ध्यान देती है और यह समतापूर्ण तथा सुलभ सरकारी स्कूली प्रणाली के निर्माण और उसे बनाए रखने के लिए विभाग की प्रतिबद्धता के अनुरूप है।

बदलाव क्या हैं?

निम्नलिखित बदलाव टर्म 1 2025 में प्रारम्भ होने वाली सभी भर्तियों पर लागू होंगे।

अस्थायी निवासी

अस्थायी निवासी वीज़ा धारक सभी विद्यार्थी अब अपने आवासीय पते के आधार पर अपने स्थानीय स्कूल में भर्ती होने में सक्षम हो पाएँगे।

टैम्पररी स्किल्स शॉर्टेज वीज़ा (सबक्लास 482) के रिज़नल धारक परिवारों अर्थात ग्रेटर सिडनी और वॉलोन्गॉन्ग से बाहर रहने वाले इन परिवारों के लिए नामांकन शुल्क माफ कर दिया जाएगा।

नॉन-लोकल (गैर-स्थानीय) नामांकन के लिए अपडेट किया गया मानदण्ड

NSW के सरकारी स्कूलों के विशिष्ट नामांकन क्षेत्र होते हैं। नामांकित भर्ती (इनटेक) क्षेत्रों का निर्धारण विभाग द्वारा किया जाता है। ये स्कूल सुनिश्चित करते हैं कि अपने स्थानीय नामांकन क्षेत्र में रहने वाले विद्यार्थियों के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध हैं। आप अपनी संतान को 'नॉन-लोकल नामांकन' के तौर पर अपने नामांकन क्षेत्र के बाहर भर्ती करने के लिए आवेदन कर सकते हैं, यदि स्थान उपलब्ध हों तो।

अपडेट किया गया मानदण्ड वर्तमान में भर्ती विद्यार्थियों के भाई-बहनों को नॉन-लोकल भर्तियों के लिए प्राथमिकता देता है, और साथ ही पात्र मुख्यधारा के स्कूलों में सहायता कक्षाओं में भर्ती विद्यार्थियों के भाई-बहनों को प्राथमिकता दी जाती है।

अपडेट किए गए मानदण्ड के अधीन, स्कूल अब स्कूल के कर्मचारियों के बच्चों के लिए भी नॉन-लोकल भर्तियों पर विचार कर सकते हैं।

पूछे जाने वाले आम सवाल

क्या ये बदलाव मेरी संतान पर लागू होते हैं?

NSW के सरकारी स्कूलों में नामांकन पर होने वाले बदलाव आपसे संबंधित हैं यदि:

- आपकी संतान की आयु स्कूल जाने की है और वह अस्थायी निवासी वीज़ा धारक है, या
- आपकी संतान की आयु स्कूल जाने की है और उसका भाई-बहन वर्तमान में NSW के किसी दूसरे सरकारी स्कूल में भर्ती है और आप चाहते हैं कि वह भी अपने उसी स्कूल में जाए जहाँ वर्तमान में उसके भाई-बहन जाते हैं। आपकी संतान के नामांकन को स्वीकार करने की आपके स्कूल की क्षमता आपके स्कूल की दाखिला देने की कुल संख्या (कैपिसिटी) और पात्रता मानदण्ड पर निर्भर करती है।
- आप अपनी संतान के नामांकित इनटेक क्षेत्र से बाहर स्थित NSW के किसी सरकारी स्कूल में काम करते हैं। आपकी संतान के नामांकन को स्वीकार करने की आपके स्कूल की क्षमता आपके स्कूल की दाखिला देने की कुल संख्या (कैपिसिटी) और पात्रता मानदण्ड पर निर्भर करती है।

क्या हर स्कूल के लिए इन बदलावों को लागू करना आवश्यक होगा?

सभी स्कूलों के लिए अस्थायी निवासी वीज़ा धारक विद्यार्थियों के लिए बदलाव लागू करने आवश्यक हैं।

अधिकांश स्कूलों के लिए, अपनी दाखिला देने की कुल संख्या (कैपिसिटी) पर निर्भर करते हुए, टर्म 1, 2025 के लिए नामांकन करवाने वाले विद्यार्थियों के लिए नॉन-लोकल भर्तियों के लिए बदलावों को लागू करना आवश्यक है।

अस्थायी निवासी विद्यार्थियों और नॉन-लोकल विद्यार्थियों के लिए नामांकन नीति बदलाव विशेषज्ञ परिसरों या कार्यक्रमों के लिए पात्रता आवश्यकताओं को प्रभावित नहीं करेंगे। पूरी तरह से सेलेक्टिव स्कूल, विशिष्ट उद्देश्यों वाले स्कूल (schools for specific purposes (SSPs)), डिस्टेन्स एजुकेशन स्कूल, और विशिष्ट पात्रता आवश्यकताओं के साथ कक्षाओं या कार्यक्रमों वाले स्कूल (जैसे कि ऑपरच्युनिटी क्लासें, स्पेशलिस्ट स्पोर्ट्स और/या विज़ुअल आर्ट्स स्ट्रीम्स) सहित पात्रता मानदण्ड वाले स्कूल अपनी वर्तमान नामांकन प्रक्रिया का अनुपालन करना जारी रखेंगे।

एकल-लिंग वाले स्कूलों को बदलाव लागू करने होंगे बशर्ते कि नामांकन किया जाने वाला बच्चा उस लिंग के लिए स्कूल की पात्रता आवश्यकता को पूरा करता है। ये बदलाव कैसे लागू होते हैं, ये पूछने के लिए प्रासंगिक स्कूल से संपर्क करें।

यदि मेरी संतान वर्तमान में भर्ती किसी विद्यार्थी का/की भाई-बहन है, तो क्या नॉन-लोकल नामांकन के लिए उनका आवेदन अपने आप से स्वीकार कर लिया जाएगा?

ये बदलाव उसी नॉन-लोकल सरकारी स्कूल में आपकी संतान के नामांकन की गारंटी नहीं देते हैं जहाँ उसके भाई-बहन पढ़ते हैं। जहाँ संभव होगा, स्कूल वर्तमान में भर्ती विद्यार्थियों के भाई-बहनों के नॉन-लोकल नामांकन को प्राथमिकता देंगे, परन्तु उनके आवेदन की स्वीकृति स्कूल की दाखिला देने की कुल संख्या (कैपिसिटी) पर निर्भर कर सकती है। और अधिक जानकारी के लिए प्रासंगिक स्कूल से संपर्क करें।

क्या इसका अर्थ है कि अब से केवल भाई-बहनों को ही नॉन-लोकल भर्तियों के तौर पर स्वीकर किया जाएगा?

नहीं, आप अभी भी किसी सरकारी स्कूल में अपनी संतान को भर्ती करवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं यदि आपकी संतान स्कूल में जाने के लिए पात्र है और स्कूल संतान के नामांकन पर विचार कर सकता है। स्कूलों के लिए अब अपडेट किए गए उस नॉन-लोकल नामांकन मानदण्ड के लिए आवेदनों को प्राथमिकता देना और उनपर विचार करना आवश्यक है (इसमें विद्यार्थी कल्याण से जुड़ी आवश्यकताओं से संबंधित मानदण्ड शामिल है), जिसमें वर्तमान में भर्ती विद्यार्थियों के भाई-बहनों को प्राथमिकता देना और स्कूली कर्मचारियों के बच्चों पर विचार करना शामिल है।

क्या स्कूली कर्मचारियों के बच्चों के लिए नॉन-लोकल भर्तियों को अपने आप से स्वीकार कर लिया जाएगा?

नहीं। स्कूल वर्तमान में भर्ती विद्यार्थियों के भाई-बहनों के लिए नॉन-लोकल आवेदनों को प्राथमिकता देंगे, और इसके बाद वे स्कूली कर्मचारियों के बच्चों के लिए नॉन-लोकल भर्तियों पर विचार कर सकते हैं। यदि आप स्कूल के स्टॉफ सदस्य हैं, तो आपकी संतान के नामांकन की स्वीकृति स्कूल की दाखिला देने की कुल संख्या (कैपिसिटी) पर निर्भर करती है। अपडेट किया गया नॉन-लोकल नामांकन मानदण्ड आपकी संतान के अपने स्थानीय स्कूल पर नामांकन करने की पात्रता को प्रभावित नहीं करेगा।

अस्थायी निवासी वीज़ा धारक विद्यार्थियों का नामांकन

मेरी संतान अस्थायी निवासी वीज़ा धारक है। मैंने पहले उसके स्थानीय स्कूल पर उसे भर्ती करने का आवेदन किया था परन्तु उनका आवेदन नामंज़ूर हो गया था। क्या मैं अपनी संतान का नामांकन आवेदन फिर से जमा करवा सकता हूँ?

आप अपना नामांकन आवेदन फिर से जमा करवा सकते हैं यदि आपकी संतान अस्थायी वीज़ा धारक है और आपके स्थानीय स्कूल पर उनका पिछला आवेदन नामंज़ूर हो गया था। कृपया नीचे दिए गए अनुभाग "2025 के लिए मैंने अपनी संतान को जहाँ भर्ती किया है, मैं इसमें बदलाव कैसे करूँ?"

मेरी संतान अस्थायी निवासी वीज़ा धारक है और मैंने 2025 के लिए पहले से ही अपनी संतान का नामांकन एक स्कूल में करवा दिया है। जहाँ मैंने अपनी संतान का नामांकन करवाया है, क्या मैं उसे बदल सकता हूँ?

यदि आपकी संतान अस्थायी निवासी वीज़ा धारक है और 2025 के लिए पहले से ही किसी स्कूल में नामांकित है, तो जहाँ वे वर्तमान में नामांकित हैं, आप उसमें बदलाव करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। कृपया नीचे दिए गए अनुभाग "2025 के लिए मैंने अपनी संतान का नामांकन जहाँ करवाया है, मैं उसमें बदलाव कैसे करूँ?" में दर्शाए गए चरणों का अनुपालन करें।

2025 के लिए मैंने अपनी संतान का नामांकन जहाँ करवाया है, मैं उसमें बदलाव कैसे करूँ?

अस्थायी निवासी वीज़ा धारक विद्यार्थी के माता-पिता या देखभालकर्ताओं के लिए यह आवश्यक है कि वे अपने स्थानीय स्कूल में अपना नामांकन बदलने के लिए इन चरणों का अनुपालन करें:

1. अपनी संतान के लिए स्कूल बदलने का अनुरोध करने के लिए अस्थायी निवासी कार्यक्रम (Temporary Residents Program) टीम से 1300 300 229 (विकल्प 1) पर फोन करके या tempvisa@det.nsw.edu.au पर ई-मेल करके संपर्क करें। आपकी संतान के लिए स्कूल ट्रांसफर पूरा किया जाने पर अस्थायी निवासी कार्यक्रम टीम द्वारा आपको सूचित किया जाएगा।
2. अपनी संतान का नामांकन करवाने के लिए अपने स्थानीय स्कूल से संपर्क करें। स्कूल आपको एक पेपर (कागज़ी) आवेदन फॉर्म देगा जिसे आपको नामांकन करवाने के लिए भरना होगा। अपने स्थानीय स्कूल के संपर्क विवरण का पता education.nsw.gov.au/find-a-public-school पर लगाएँ

मेरी संतान 482 वीज़ा के अलावा किसी अन्य वीज़ा की धारक है और एक अस्थायी निवासी है। क्या मुझे नामांकन शुल्क का भुगतान करना होगा?

किसी सरकारी स्कूल में नामांकन करवाने का अस्थायी निवासी आवेदन शुल्क और ट्यूशन फीस का हिसाब सामान्यत: उस वीज़ा सबक्लास का प्रयोग करके लगाया जाता है जिसका धारक विद्यार्थी होता है। आपके वीज़ा सबक्लास पर लागू शुल्क से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए, कृपया DE International की वेबसाइट पर जाएँ: deinternational.nsw.edu.au/study-options/study-programs/temporary-residents यदि आपको अभी भी पक्का पता नहीं है कि क्या शुल्क संबंधी छूट आप पर लागू होती है या नहीं, तो आप अस्थायी निवासी कार्यक्रम (Temporary Residents Program) टीम से tempvisa@det.nsw.edu.au पर संपर्क कर सकते हैं।

नॉन-लोकल (गैर-स्थानीय) भाई-बहनों का नामांकन

मैंने अपनी संतान का नामांकन उस स्कूल में कराने का आवेदन किया जहाँ उसके भाई-बहन जाते हैं परन्तु उसका आवेदन नामंज़ूर कर दिया गया। क्या मैं अपनी संतान का नामांकन आवेदन फिर से जमा करवा सकता हूँ?

यदि आपने अपनी संतान का नामांकन उसके भाई-बहन के नॉन-लोकल स्कूल में करवाने का आवेदन किया है और आवेदन नामंज़ूर हो गया था, तो कृपया फिर से आवेदन जमा करवाने के लिए नीचे दिए गए अनुभाग "2025 के लिए मैंने अपनी संतान का नामांकन जहाँ करवाया है, मैं उसमें बदलाव कैसे करूँ?" में दर्शाए चरणों का अनुपालन करें।

मैंने 2025 के लिए एक स्कूल में अपनी संतान का नामांकन करवाया, परन्तु उसके भाई-बहन किसी दूसरे नॉन-लोकल स्कूल में भर्ती हैं। जहाँ वे भर्ती हैं, क्या मैं उसे बदलने के लिए आवेदन कर सकता हूँ?

2025 के लिए जिस स्कूल में आपकी संतान नामांकित है यदि आप उसका नामांकन उस स्कूल से बदलकर उस नॉन-लोकल स्कूल में करना चाहते हैं जहाँ वर्तमान में उसके भाई-बहन पढ़ाई करते हैं, तो कृपया नीचे दिए गए अनुभाग "2025 के लिए मैंने अपनी संतान का नामांकन जहाँ करवाया है, मैं उसमें बदलाव कैसे करूँ?" में दर्शाए गए चरणों का अनुपालन करें।

2025 के लिए मैंने अपनी संतान का नामांकन जहाँ करवाया है, मैं उसमें बदलाव कैसे करूँ?

माता-पिता या देखभालकर्ता जो अपनी संतान को उसी नॉन-लोकल स्कूल में भर्ती करवाना चाहते हैं जहाँ उसके भाई-बहन पढ़ाई करते हैं, उन्हें उनका नामांकन बदलने के लिए इन चरणों का अनुपालन करना होगा:

ऑनलाइन नामांकन आवेदन

1. उस स्कूल की वेबसाइट पर जाएँ जहाँ आप नामांकन के लिए आवेदन करना चाहते हैं, और फिर menu विकल्पों में enrolment (नामांकन) पर क्लिक करें।
2. enrolment (नामांकन) वेबपेज़ पर, नामांकन कैसे करें शीर्षक के तहत ऑनलाइन नामांकन आवेदन के लिंक पर क्लिक करें।
3. नामांकन के लिए अपना आवेदन जमा करवाने के बाद, स्कूल आपको एक ऑफर (प्रस्ताव) कर सकता है जिसे आपको 14 दिनों में स्वीकार करना होगा।
4. यदि आपका आवेदन स्वीकार कर लिया जाता है, तो उस स्कूल से संपर्क करें जहाँ आपकी संतान का 2025 के लिए पहले से नामांकन करवाया गया था ताकि उस नामांकन से नाम हटाया जा सके।

पेपर (कागजी) फॉर्म आवेदन

1. अपनी संतान के भाई-बहन से स्कूल से संपर्क करके यह पता करें कि क्या वे आपकी संतान को भर्ती करने पर विचार कर सकते हैं।
2. यदि स्कूल आपकी संतान के नामांकन पर विचार कर सकता है, तो एक नया पेपर आवेदन फॉर्म भरें, जो स्कूल प्रदान कर सकता है।
3. आपके द्वारा नामांकन करवाने के लिए अपना आवेदन जमा करवाए जाने के बाद, स्कूल आपको एक ऑफर (प्रस्ताव) कर सकता है जिसे आपको 14 दिनों में स्वीकार करना होगा।
4. यदि आपका आवेदन स्वीकार कर लिया जाता है, तो उस स्कूल से संपर्क करें जहाँ आपकी संतान का 2025 के लिए पहले से नामांकन करवाया गया था ताकि उस नामांकन से नाम हटाया जा सके।

मैंने 2025 में कक्षा 6 से 7 के ट्रांज़िशन के लिए रूचि की अभिव्यक्ति (Expression of Interest (EOI)) दर्ज कर दी है। जहाँ मैंने अपनी संतान का नामांकन करवाया है, क्या मैं उसमें बदलाव कर सकता हूँ?

कक्षा 6 से 7 के ट्रांज़िशन के लिए EOI बंद हो चुकी है और इसलिए माता-पिता और देखभालकर्ता 2025 के लिए अपनी स्कूल प्राथमिकता सूची में अब बदलाव नहीं कर सकते हैं।

2025 के लिए जिस स्कूल में आपकी संतान नामांकित है यदि आप उसका नामांकन उस स्कूल से बदलकर उस नॉन-लोकल स्कूल में करना चाहते हैं जहाँ वर्तमान में उसके भाई-बहन पढ़ाई करते हैं, तो आपको निम्नलिखित चरणों का अनुपालन करना चाहिए।

ऑनलाइन नामांकन आवेदन

1. उस स्कूल की वेबसाइट पर जाएँ जहाँ आप नामांकन के लिए आवेदन करना चाहते हैं, और फिर menu विकल्पों में enrolment (नामांकन) पर क्लिक करें।
2. enrolment (नामांकन) वेबपेज़ पर, नामांकन कैसे करें शीर्षक के तहत ऑनलाइन नामांकन आवेदन के लिंक पर क्लिक करें।
3. आपके द्वारा नामांकन करवाने के लिए अपना आवेदन जमा करवाए जाने के बाद, स्कूल आपको एक ऑफर (प्रस्ताव) कर सकता है जिसे आपको 14 दिनों में स्वीकार करना होगा।
4. यदि आपका आवेदन स्वीकार कर लिया जाता है, तो उस स्कूल से संपर्क करें जहाँ आपकी संतान का 2025 के लिए पहले से नामांकन करवाया गया था ताकि उस नामांकन से नाम हटाया जा सके।

पेपर (कागजी) फॉर्म आवेदन

1. अपनी संतान के भाई-बहन के स्कूल से संपर्क करके यह पता करें कि क्या वे आपकी संतान को भर्ती करने पर विचार कर सकते हैं। इस वेबसाइट पर स्कूल के संपर्क विवरण का पता लगाएँ: education.nsw.gov.au/find-a-public-school
2. यदि स्कूल आपकी संतान के नामांकन पर विचार कर सकता है, तो एक नया पेपर आवेदन फॉर्म भरें, जो स्कूल प्रदान कर सकता है।
3. आपके द्वारा नामांकन करवाने के लिए अपना आवेदन फॉर्म जमा करवाए जाने के बाद, स्कूल आपको एक ऑफर (प्रस्ताव) कर सकता है जिसे आपको 14 दिनों में या जितनी जल्दी संभव हो स्वीकार करना होगा।
4. यदि आपका आवेदन स्वीकार कर लिया जाता है और आप पहले से ही अपना EOI ऑफर स्वीकार कर चुके हैं, तो नामांकन से नाम हटाने के लिए सीधे स्कूल से संपर्क करें।

स्कूल कर्मचारियों के नॉन-लोकल बच्चों का नामांकन

जिस स्कूल में मैं काम करता हूँ, मैंने वहाँ अपनी संतान का नामांकन करवाने का आवेदन दिया, परन्तु उनका आवेदन नामंज़ूर हो गया। क्या मैं अपनी संतान का नामांकन आवेदन फिर से जमा कर सकता हूँ?

यदि आपने उस स्कूल में अपनी संतान को भर्ती करने का आवेदन किया है जहाँ आप काम करते हैं और आपका आवेदन नामंज़ूर हो गया था, तो आप दोबारा आवेदन जमा करवा सकते हैं। ऐसा करने के लिए, कृपया "2025 के लिए मैंने अपनी संतान का नामांकन जहाँ करवाया है, मैं उसमें बदलाव कैसे करूँ?" के अधीन उपरोक्त अनुभाग में दर्शाए गए चरणों का अनुसरण करें।

मैं और अधिक जानकारी का पता कहाँ से लगा सकता हूँ?

नामांकन संबंधी पूछताछ के लिए, अपने पसंदीदा स्कूल से बात करें। अपने स्कूल के संपर्क विवरण का पता इस वेबसाइट पर लगाएँ: education.nsw.gov.au/find-a-public-school

इस बारे में और अधिक जानकारी के लिए कि NSW के सरकारी स्कूल में नामांकन कैसे करवाएँ: education.nsw.gov.au/enrolment

इस बारे में और अधिक जानकारी के लिए कि एक अस्थायी निवासी के तौर पर NSW के सरकारी स्कूल में नामांकन कैसे करवाएँ: https://www.deinternational.nsw.edu.au/

नामांकन से जुड़ी सामान्य पूछताछ के लिए, शिक्षा विभाग के मुख्य कार्यालय से संपर्क करें: 1300 679 332

टेलीफोन दुभाषिया सेवा

यदि किसी स्कूल या शिक्षा विभाग से संपर्क करने के लिए आपको किसी दुभाषिए की ज़रूरत है, तो कृपया टेलीफोन दुभाषिया सेवा को 13 14 50 पर कॉल करें और अपनी भाषा में दुभाषिए के लिए निवेदन करें। ऑपरेटर को वह फोन नम्बर बताएँ जिसपर आप कॉल करना चाहते हैं और ऑपरेटर बातचीत में आपकी सहायता करने के लिए किसी दुभाषिए को फोन लाइन पर कनेक्ट करेगा। इस सेवा के लिए आपसे शुल्क नहीं लिया जाएगा।